R 517-IV/15

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाव आदि के हस्ताक्षर
16.3.15	आवेदक विनय वर्मा स्वयं उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता एवं स्थगन पर सुना गया । आवेदक का कहना है कि भू–राजस्व संहिता में हुए नवीन संशोधन के अनुसार आगामी पेशी अथवा तीन माह से अधिक स्थगन देने का प्रावधान नहीं है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने आगामी आदेश तक स्थगन जारी किया गया है । यह भी कहा गया कि अनावेदक का प्रश्नाधीन भूमि पर कोई स्वत्व नहीं है । अतः उन्होंने निगरानी ग्राह्य करने एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को स्थगित करने का अनुरोध किया । 2– आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया । यह निगरानी आयुक्त के अंतरिम आदेश के विरूद्ध पेश की गई है, प्रकरण अभी अधीनस्थ न्यायालय में प्रचलित है ऐसी स्थिति में प्रकरण को ग्राह्य किए जाने का कोई औचित्य नहीं है । आवेदक का यह तर्क विधिसम्मत है कि संहिता में हुए संशोधन जो दिनांक 1–1–12 से प्रभावी है आगामी पेशी/तीन माह जो भी पहले हो से अधिक स्थगन नहीं दिया जा सकता है जबकि आयुक्त ने आगामी आदेश तक स्थगन जारी किया गया है, जो संहिता के प्रावधानों के विपरीत है । अतः उनका आलोच्य आदेश इसी आधार पर पर निरस्त किया जाता है तथा उन्हें यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण का निराकरण यथाशीघ्र करें । सदस्य	

शाक्षेमुग्वा—766—फॉर्म्स—23-3-13—10,000 प्रपत्र.

समक्ष राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर, ~~सर्किट कोर्ट, रीवा~~, (म.प्र.)

निगरानी प्रकरण क्र. ..../2015

निगरानी 517-III-15

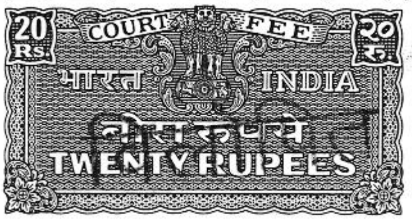

विनय वर्मा तनय श्री जे.डी. वर्मा, उम्र 45 वर्ष, पेशा व्यापार, निवासी आनन्द विहार कॉलोन्री खैरी, तहसील हुज़ूर, जिला–रीवा (म.प्र.)

श्री आवेदक विनय वर्मा द्वारा आज दि. 16-3-15 को प्रस्तुत

for क्लर्क ऑफ कोर्ट 16-3-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

.... पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

दिव्यराज सिंह तनय महाराजा पुष्पराज सिंह, निवासी किला उपरहटी रीवा, तहसील हुज़ूर, जिला–रीवा (म.प्र.)

2. कन्हैयालाल शाह तनय श्री अमृतलाल शाह, निवासी जेल मार्ग रीवा, तहसील हुज़ूर, जिला–रीवा (म.प्र.)

3. गोविन्दराम काकवानी तनय ख्यालदास, निवासी गोलपार्क बस स्टैण्ड के पीछे रीवा, तहसील हुज़ूर, जिला–रीवा (म.प्र.)

4. अवध बिहारी पाण्डेय तनय स्व. बृजेन्द्रनाथ पाण्डेय, निवासी ग्राम बदवार, तहसील गुढ, जिला–रीवा (म.प्र.)

.... गैर पुनरीक्षणकर्तागण

विनय वर्मा

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश आयुक्त महोदय, रीवा संभाग, रीवा, (म.प्र.) के प्रकरण क्र. 58/अपील /2014–15 आदेश दिनांक 23.02.2015

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 ईस्वीं।

मान्यवर,

:: प्रकरण के तथ्य ::